"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 — माघ 27, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-17/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित 95 धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-3 में, शीर्षक "सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6.	लेखापाल	रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400	(1) सीधी भर्ती के लिए, वाणिज्य में स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा. (2) विभागीय पदोन्नति हेतु, सहायक ग्रेड-तीन की विहित अर्हता के साथ लिपिकीय कार्य में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये एवं लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप- सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 4-17/2016/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 08-02-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप- सचिव.

Naya Raipur, the 8th February 2018

NOTIFICATION

No. F 4-17/2016/18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-III, under the Heading "General Administration Department", for serial number 6 and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :-

"6.	Accountant	Rs. 5200-20200+ Grade pay 2400	(1) for Direct recruitment, Graduation in commmerce and Degree/Diploma in Computer Application.
			(2) for departmental Promotion, should have prescribed qualifications of Assistant Grade-III alongwith 5 Years of clerical work experience and should have passed accounts training examination.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.